प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,

उ0प्र0, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ : दिनांक 28 जनवरी, 2021

विषय : वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत नोएडा अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण के कारण री-लोकेट होने वाले 05 आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-763-64/बा.वि.परि./आ0बा0केन्द्र/2020-21, दिनांक 05 जनवरी, 2021 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि रूपये 800.00 लाख (रू0 आठ करोड़) के सापेक्ष शासनादेश संख्या-22/2020/2359/58-1-20-2/1(26)12, दिनांक 06.10.2020 द्वारा रू0 72.00 लाख (रूपये बहत्तर लाख मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में नोएडा अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण के कारण री-लोकेट 05 आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 800.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 728.00 लाख में से सम्भावित व्यय हेतु रू0 7.52 लाख प्रति केन्द्र की दर से कुल रू0 37.60 लाख (रूपये सैंतीस लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती हैं :-

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का वहन शत-प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आवंटन निर्माण कार्य के निर्धारित लक्ष्य/प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र भवन के निर्माण लागत के आधार पर किया जायेगा। इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत निर्देशों के क्रम में निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि को किसी भी दशा में बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा तथा उक्त धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रश्नगत निर्माण कार्य की अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार चिन्हित आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण कार्य हेतु निर्धारित मानकों/ निर्देशों के अनुसार किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। धनराशि को व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत निर्माण कार्य के लिए किसी अन्य योजना से धनराशि, इसके पूर्व स्वीकृत नहीं की गयी है।
5. स्वीकृत धनराशि के व्यय/उपयोग योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
6. उक्त धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अतः बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व तत्सम्बन्धी तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. निर्माण कार्यों के संबंध में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य समयान्तर्गत पूर्ण करा लिया जाय। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे। टाईम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन के संबंध में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर 212 (7) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार/वित्त विभाग द्वारा निर्धारित मानक/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि आहरित की जायेगी।
9. निर्माण कार्य के प्रगति की सूचना शासन को निदेशक, आईसीडीएस की संस्तुति सहित मासिक रूप में उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण अनुमोदित आगणन लागत/ मानचित्र के अधीन रहते हुए ही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10. प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के पुनर्वैधीकरण के संबंध में योजना की गाइड लाइन एवं नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
11. धनराशि के आहरण के पूर्व निर्विवाद भूमि उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।
12. आहरित धनराशि की उपयोगिता की स्थिति से ससमय अवगत कराया जाये।
13. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2019 दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11 अप्रैल, 2020, शासनादेश संख्या-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18 मई, 2020, शासनादेश संख्या-7/2020/बी-1-306/दस/2020-231/2020, दिनांक 17 जून, 2020 तथा शासनादेश संख्या-8/2020/बी-1-429/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 जुलाई, 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2- प्रश्नगत आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण शासनादेश संख्या-3391/60-2-15-2/3(12)07 टी.सी., दिनांक 20.01.2016 द्वारा निर्गत दरों के आधार पर किया जायेगा। अत: उक्त स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त धनराशि शासनादेश संख्या-2675/60-2-16-2/1(26)/12 दिनांक 19.10.2016 एवं शासनादेश संख्या-1660/60-2-19-2/1(26)/12टीसी दिनांक 31.05.2019 में निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-49 के अधीन लेखाशीर्षक "4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0103-आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण (के060/रा040-के+रा)-24-वृहद निर्माण कार्य' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-4-66/दस/2021, दिनांक 20 जनवरी, 2021 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-10/2021/97(1)/58-1-2021, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार(जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट), उ.प्र., प्रयागराज।
2. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
3. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया व्यक्तिगत ध्यान देकर प्रश्नगत निर्माण कार्य को प्राथमिकता पर पूर्ण कराने का कष्ट करें।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6. राज्य योजना आयोग-1/केन्द्रीय सहायता अनुभाग।
7. आहरण वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in